[15/7/2024]

प्रश्न सं. [क्र. 2283]

(2)

कार्यालय वनमंडलाधिकारी वनमंडल गुना म.प्र.

गुना , दिनांक 20.10.2022

क्रमांक / डी.एम. / 2022 / 10327

प्रति,

जिला परियोजना समन्वयक

जिला शिक्षा केन्द्र गुना

विषय :– शासकीय प्राथमिक विद्यालय काली भोंट में शाला भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटित करने बावत् ।

संदर्भ :– आपका पत्र क / जि.शि.के. / निर्माण / 2022 / 1175 दिनांक 09–09–22

संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र से वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत प्राप्त प्रकरण ग्राम पंचायत कपासी के ग्राम काली भोंट में शाला भवन निर्माण के संबंध प.अ. फतेहगढ़ से स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त किया गया । प.अ. से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार जिस बस्ती के लिये शाला निर्माण हेतु भूमि की मॉग की जा रही है , वह वन क्षेत्र में अवैध रूप से बसी है ।

प्रकरण में चूँकि बस्ती वन भूमि पर अवैध रूप से बसी है, जिसे भविष्य में नियमानुसार बेदखल किया जाना प्रस्तावित है , ऐसी स्थिति में आवेदित स्थल पर शाला भवन निर्माण की अनुमति दिया जाना शासन नीति के अनुरूप नहीं होने से प्रकरण में स्वीकृति दिया जाना संभव नहीं है ।

वनमण्डलाधिकारी

वनमण्डल सामान्य गुना

गुना, दिनांक..............

पृ.क्रमांक / डी.एम. / 2022 / 10328

गुना , दिनांक 20.10.2022

प्रतिलिपि– पृ. क्रमांक / डी.एम. /

प्रतिलिपि :– 1 कलेक्टर जिला गुना की ओर सूचनार्थ ।

2. वन परिक्षेत्राधिकारी फतेहगढ़ की ओर उनके संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है, कि वन क्षेत्र में अवैध बसाहट के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें ।

3. उप वन मण्डलाधिकारी चमोरी की ओर सूचनार्थ ।

वनमण्डलाधिकारी

वनमण्डल सामान्य गुना

उप संचालक

पंचायत राज, मध्यप्रदेश